न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 201/2011 दायर दिनाँक 21.09.2011

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वादी		प्रतिवादीगण
1. लिछमा पत्नी बाबूलाल, जाति–रावणा राजपूत, आयु–65साल, निवासी–हरनारायणबास, डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. अनोप पत्नी हनुमानसिंह, (फौत), के वारिशान– 1/1 कमलसिंह पुत्र स्वर्गीय हनुमानसिंह, उम्र–47साल, जाति–रावणा राजपूत, निवासी–180 कैलाशपुरी, बीकानेर, राजस्थान, 1/2 पूरणसिंह पुत्र स्वर्गीय हनुमानसिंह, उम्र–42साल, जाति–रावणा राजपूत, निवासी–171 कैलाशपुरी, बीकानेर, राजस्थान, 1/3 मीनाकँवर उर्फ मुन्नीदेवी पुत्री स्वर्गीय हनुमानसिंह पत्नी बजरंगसिंह चौहान, उम्र–33साल, निवासी–अलख सागर रोड़, बीकानेर, राजस्थान, 1/4 विजयदेवी उर्फ बीजूदेवी पुत्री स्वर्गीय हनुमानसिंह पत्नी गोपालसिंह सोढा, उम्र–36साल, निवासी–गली नम्बर 04, हनुमान हत्था, बीकानेर, राजस्थान, 1/5 भगवतीदेवी उर्फ बेबीदेवी पुत्री स्वर्गीय हनुमानसिंह पत्नी गोपालसिंह परिहार, उम्र–44साल, निवासी–B 03/52

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

		सुदर्शन नगर, बीकानेर, राजस्थान, 1/6 दुर्गादेवी पुत्री स्वर्गीय हनुमानसिंह पत्नी औंकारसिंह गौड़, उम्र–49साल, निवासी–कोसियों का मोहल्ला, बीकानेर, राजस्थान 2. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा–88, 188, R.T.Act.

उपस्थित:–

1. श्री राजेन्द्रकुमार माथुर, वकील, वादी।
2. श्री मोहम्मद इकबाल, वकील, प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **15.03.2018**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, शरहद अमरपुरा में खसरा नम्बर 124 रकबा 0.06 बीघा, खसरा नम्बर 125 रकबा 16.02 बीघा व खसरा नम्बर 134 रकबा 12.16 बीघा, की खातेदारी सुन्दर पत्नी मोती के नाम से दर्ज है। नकल पेश है।

वादग्रस्त भूमि के दर्ज खातेदार सुन्दर का स्वर्गवास हो चुका है। मरहूम सुन्दर के कोई जायन्दा पुत्र नहीं है। वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ही, स्वर्गीय सुन्दर की सन्तानें हैं। प्रतिवादी अनोप की शादी होकर अपने पति के साथ बीकानेर में ही आबाद रही है। वादी की भी शादी हो चुकी है मगर बाद शादी वादी अपने परिवार सहित माता के साथ पुत्रवत् ताजिन्दगी सेवा की व रीति अनुसार क्रियाकर्म व खर्च कार्य किया है।

वादी अपने जन्म से ही अपने माता–पिता के साथ रही इसलिए वादी व उसके परिवार का ही वादग्रस्त भूमि पर कब्जाकाश्त है व

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी संख्या 01 का कभी भी वादग्रस्त भूमि पर कब्जाकाश्त नहीं रहा है।

वादी की माता सुन्दर के फौत होने के बाद उसकी खातेदारी की वादग्रस्त भूमि आज भी वादी की माता मरहूम सुन्दर पत्नी मोती के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। अब चूँकि कृषि भूमियों की कीमतें बढ जाने से प्रतिवादी संख्या 01 लालच में आ गयी है व वादी की कदीमी कब्जाकाश्त की वादग्रस्त भूमि को जरिये उत्तराधिकार के अपने नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहती है, जो कि कतई गलत है। प्रतिवादी संख्या 01 का कभी भी वादग्रस्त भूमि में दखल नहीं रहा है जबकि वादी अपने बाल्यकाल से ही वादग्रस्त भूमि पर अपने माता–पिता के साथ लागातार काबिज चली आ रही है। अतः दावा बाबत् घोषणा खातेदार का करना वादी को लाजमी आया है। बिनाय दावा दिनाँक 19.02.2011 को उत्पन्न हुआ।

प्रार्थना वादी है कि–

शरहद अमरपुरा में खसरा नम्बर 124 रकबा 0.06 बीघा, खसरा नम्बर 125 रकबा 16.02 बीघा व खसरा नम्बर 134 रकबा 12.16 बीघा, की खातेदारी वादी के नाम एक्सक्लूसिव पजेशन के आधार घोषित की जावे। वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 02 जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

प्रतिवादी अनोप की ओर से जवाब दावा मया काउण्टर क्लेम पेश हुआ। वकील वादी ने प्रार्थना–पत्र आदेश 06 नियम 17 सी.पी.सी. का पेश हुआ। उक्त प्रार्थना–पत्र आदेश 06 नियम 17 सी.पी.सी. का वकील प्रतिवादी द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया।

कायम मुकाम मय वारिशान् की सूची का प्रार्थना–पत्र प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से पेश हुआ जिसे वारिशान् के उपनाम सहित रिकॉर्ड पर लेने में वादी ने अपनी सहमति पेश की।

वादी व प्रतिवादी संख्या 01 के वारिशान् की ओर से राजीनामा पेश हुआ। राजीनामा की इबारत् पक्षकारान् को पढकर सुनाई व

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

समझाई गयी, जिसे बिना किसी दबाव या लालच के सही होना सभी पक्षकारान् द्वारा स्वीकार किया गया। वादी की पहचान वकील श्री राजेन्द्रकुमार माथुर ने की व प्रतिवादी संख्या 01 के वारिशान् की पहचान वकील श्री मोहम्मद इकबाल ने की। अतः हस्ब बख्वाहिश राजीनामा तस्दीक किया गया।

उपर्युक्त राजीनामा के अनुसार, राजीनामा के साथ पेश नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित मुताबिक, पक्षकारान् वादग्रस्त भूमि की 1/2 – 1/2 की खातेदारी चाहते है।

वादी ने वाद के समर्थन में शपथ–पत्र, जमाबन्दी सम्वत् 2065–2068 खेवट संख्या 113/107 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश है।

विद्वान वकुलाय उभयपक्ष की सारगर्भित बहस सुनी गयी। पक्षकारान् ने जरिये वकुलाय अपना राजीनाम पेश कर दिया है व मुताबिक राजीनामा के दावा डिक्री करवाने चाहते हैं। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। बहस पर मनन् किया।

हस्तगत प्रकरण में पक्षकारान् ने राजीनामा पेश कर दिया है व राजीनामा के साथ पेश नजरीनक्शा अनुसूची "अ" पेश है जिसके अनुसार दावा डिक्री चाहते है। पक्षकारान् वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 124 रकबा 0.06 बीघा, खसरा नम्बर 125 रकबा 16.02 बीघा व खसरा नम्बर 134 रकबा 12.16 बीघा का नजरीनक्शा अनुसार 1/2 भाग की खातेदारी वादी के व 1/2 भाग की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 01 के वारिशान् के चाहते हैं। अतः इसी अनुसार उक्त राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में दावा डिक्री किया जाना, न्यायालय के मत में उचित प्रतीत होता है।

अतः, बाद विवेचन, वाद वादी, डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्ब दावा बख्वाहिश राजीनामा डिक्री सादिर कर, शरहद अमरपुरा की वाद वर्णित खसरान् की भूमियों का बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से कर, वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित भूमि की खातेदारी निम्नानुसार घोषित की जाती है:–

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 201/2011
दायर दिनाँक 21.09.2011, निर्णय दिनाँक 15.03.2018
लिछमा बनाम् अनोप, वगैरा।

1. **खसरा नम्बर 125 रकबा 16.02 बीघा भूमि** में से रकबा 14.06 बीघा भूमि का वादी को व रकबा 01.16 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 01 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. **खसरा नम्बर 124 रकबा 0.06 बीघा गैरमुमकिन ढाणी** सम्पूर्ण का वादी को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. **खसरा नम्बर 134 रकबा 12.16 बीघा भूमि** सम्पूर्ण का प्रतिवादी संख्या 01 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर,
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **15.03.2018** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **201/2011** दायर दिनाँक **21.09.2011**

वादी		प्रतिवादीगण
1. लिछमा पत्नी बाबूलाल, जाति–रावणा राजपूत, आयु–65साल, निवासी–हरनारायणबास, डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. अनोप पत्नी हनुमानसिंह, (फौत), के वारिशान्– 1/1 कमलसिंह पुत्र स्वर्गीय हनुमानसिंह, उम्र–47साल, जाति–रावणा राजपूत, निवासी–180 कैलाशपुरी, बीकानेर, राजस्थान, 1/2 पूरणसिंह पुत्र स्वर्गीय हनुमानसिंह, उम्र–42साल, जाति–रावणा राजपूत, निवासी–171 कैलाशपुरी, बीकानेर, राजस्थान, 1/3 मीनाकँवर उर्फ मुन्नीदेवी पुत्री स्वर्गीय हनुमानसिंह पत्नी बजरंगसिंह चौहान, उम्र–33साल, निवासी–अलख सागर रोड़, बीकानेर, राजस्थान, 1/4 विजयदेवी उर्फ बीजूदेवी पुत्री स्वर्गीय हनुमानसिंह पत्नी गोपालसिंह सोढा, उम्र–36साल, निवासी–गली नम्बर 04, हनुमान हत्था, बीकानेर, राजस्थान, 1/5 भगवतीदेवी उर्फ बेबीदेवी पुत्री स्वर्गीय हनुमानसिंह पत्नी गोपालसिंह परिहार, उम्र–44साल, निवासी–B 03/52

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

		सुदर्शन नगर, बीकानेर, राजस्थान, 1/6 दुर्गादेवी पुत्री स्वर्गीय हनुमानसिंह पत्नी औंकारसिंह गौड़, उम्र–49साल, निवासी–कोसियों का मौहल्ला, बीकानेर, राजस्थान 2. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा, अन्तर्गत धारा–88, 188, R.T.Act.

दिनाँक **15.03.2018**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री राजेन्द्रकुमार माथुर, वकील, वादी व श्री मोहम्मद इकबाल, वकील, प्रतिवादी संख्या 01 ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्ब दावा बख्वाहिश राजीनामा डिक्री सादिर कर, शरहद अमरपुरा की वाद वर्णित खसरान् की भूमियों का बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से कर, वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित भूमि की खातेदारी निम्नानुसार घोषित की जाती है:–

1. **खसरा नम्बर 125 रकबा 16.02 बीघा भूमि** में से रकबा 14.06 बीघा भूमि का वादी को व रकबा 01.16 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 01 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. **खसरा नम्बर 124 रकबा 0.06 बीघा गैरमुमकिन ढाणी** सम्पूर्ण का वादी को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. **खसरा नम्बर 134 रकबा 12.16 बीघा भूमि** सम्पूर्ण का प्रतिवादी संख्या 01 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–.............. बाबत................ ....–..................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख **15.03.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प		
स्टाम्प			वकालतनामा		
वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	—		महनताना वकील		
महनताना वकील	—		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner